

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेशक्रमांक/स्था-3/एच/शि.सं.व./15/2009/1686
प्रति,

भोपाल, दिनांक 26/06/2009

1. समस्त संयुक्त संचालक,
लोक शिक्षण, संभाग
मध्यप्रदेश।
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
मध्यप्रदेश।

विषय:—दिनांक 01-04-2003/01.04.2006 की स्थिति में राज्य स्तरीय शिक्षक संवर्ग की अंतिम पदक्रम सूची में नाम जोड़ने/संशोधन के लिये उपस्थिति विषयक।

-0-

उपर्युक्त विषयांतर्गत संचालनालय द्वारा विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 17.09.2008 अंतर्गत शिक्षक पद से व्याख्याता पद के लिये की जाने वाली पदोन्नति में विभिन्न विषयों एवं संवर्गों में चयनित हुये लोक सेवकों की अंतिम दिनांक **(cut off date)** निर्धारित की गई है जिसे पत्र के साथ संलग्न किया जाकर लेख है कि यदि आपके संभागांतर्गत/जिलांतर्गत किसी भी शिक्षक संवर्ग कर्मचारियों का संचालनालय से पूर्व में जारी शिक्षक संवर्ग की वरिष्ठता सूची 01.04.2003 एवं 01.04.2006 दिनांक की स्थिति में जारी अंतिम वरिष्ठता सूची में किसी कारणवश नाम नहीं अंकित हो पाया हो या फिर पदोन्नति के लिये आवश्यक यथा-शैक्षणिक योग्यता, जाति संशोधन, वरिष्ठता तिथि या अन्य किसी भी प्रकार का संशोधन दोनों वरिष्ठता सूची में नहीं हुआ हो और इस कारण पदोन्नति से वंचित रह गये हों तो इस संबंध में दिनांक 30.06.2009 तक अपने जिले/संभाग की ऐसे वंचित सभी शासकीय कर्मचारियों से संबंधित जानकारी सहित आपके कार्यालय के स्थापना प्रभारी के साथ व्यक्तिशः संचालनालय में भिजवाना सुनिश्चित करें।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त "कट ऑफ डेट" के अंतर्गत आने वाले शिक्षक का यदि आपके जिले से आवश्यक संशोधन/नाम सम्मिलित करने हेतु समुचित प्रस्ताव पूर्व में संचालनालय की ओर भेजा गया हो एवं उक्त दोनों वरिष्ठता सूची में अभी तक वांछित संशोधनों की सूचना आपको प्राप्त नहीं हुई हो तो उक्त भेजे गये प्रस्ताव की छायाप्रति भी पृथक से संलग्न कर भिजवायें ताकि जिससे आगामी विभागीय पदोन्नति में कोई भी पात्र शिक्षक को उक्त त्रुटि के आधार पर पदोन्नति से वंचित न रहें।


अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि संचालनालय को उक्त हेतु पूर्ण अभिलेखों/अभिमत सहित प्रस्ताव एवं एकजाई सूची के साथ एक प्रमाण-पत्र " इसके अतिरिक्त संभागांतर्गत किसी भी जिले में कोई भी शिक्षक विभिन्न विषयों एवं संवर्गों में चयनित लोक सेवकों की अंतिम दिनांक **(cut off date)** संलग्न सूची अनुसार की स्थिति में पदक्रम सूची से छूटा नहीं है एवं ना ही किसी प्रकार की त्रुटि समाविष्ट है " अवश्य अंकित किया जावे।

निरंतर...2...

यदि किसी प्रकार की त्रुटि अथवा भविष्य में संचालनालय द्वारा जारी शिक्षक संवर्ग से व्याख्याता पद पर पदोन्नति में उक्त कारण से कोई शिक्षक वंचित रह जाता है अथवा ऐसे छोटे हुये लोकसेवकों की पदोन्नति पश्चात पदांकन हेतु होने वाली काउन्सिलिंग के समय आपके संभाग/जिले का पुनः कोई प्रकरण छोटे हुये लोकसेवकों के रूप में आता है तो उसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

वांछित प्रस्ताव पदक्रम सूची में संशोधन हेतु ही मंगवाये जा रहे हैं।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।


संचालक

लोक शिक्षण,म.प्र.
भोपाल,दिनांक 26/06/2009


पृ.क्रमांक/स्था-3/एच/शि.सं.व./15/2008/1687
प्रतिलिपि:-

1/ विशेष सहायक,माननीय मंत्रीजी,स्कूल शिक्षा विभाग,मंत्रालय-भोपाल।

2/ प्रमुख सचिव,म.प्र.शासन,स्कूल शिक्षा विभाग,मंत्रालय-भोपाल।

की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।

3/ सहायक संचालक,स्थापना-2(स्थानीय) की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि आपके कक्ष द्वारा पूर्व में स्थापना-3 कक्ष को **(cut off date)** अनुसार संशोधन करने के लिये भेजे गये शिक्षकों के प्रस्तावों की एक पृथक सूची पुनः उपलब्ध करावें, जिससे कक्ष द्वारा संबंधित जिलों से अग्रिम आवश्यक कार्यवाही निर्धारित समय पूर्व किया जाना सुनिश्चित हो सकें।


संचालक

लोक शिक्षण,म.प्र.

17-9-2008

परिशिष्ट "अ"

स.क.	विषय	सामान्य श्रेणी	अनु.जाति	अनु.जगजाति
1.	हिन्दी	04.01.92	26.11.92	24.12.98
2.	अंग्रेजी	14.11.88	29.03.05	30.12.97
3.	संस्कृत	24.10.86	01.10.94	12.09.98
4.	अर्धशास्त्र	20.01.87	04.08.93	05.09.2000
5.	वाणिज्य	28.08.82	04.10.97	13.07.2000
6.	भूगोल	11.09.86	30.06.2000	31.10.2000
7.	इतिहास	25.11.88	23.06.95	10.06.1997
8.	राजनीति शास्त्र	11.12.87	12.09.98	30.08.96
9.	गणित	31.12.86	15.04.2000	15.07.93
10.	जीव विज्ञान	29.01.87	06.06.95	20.04.94
11.	भौतिक शास्त्र	30.12.95	31.12.87	30.07.93
12.	रसायन शास्त्र	14.10.93	16.06.96	28.07.93
13.	गृह विज्ञान	25.11.88	-	-
14.	उदू	12.09.88	-	-

15

31.12.98